

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण
प्रहलादराम पुत्र भंवरुराम वगै

अप्रार्थीगण
बनाम झाणकारी पत्नी श्री मांगीलाल

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 74 / 2017TI

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
05.06.2017	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री रामनारायण चौधरी ने पेश कर अस्थाई निशेधाज्ञा बाबत निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व शपथपत्र के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का सुतंलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के विरुद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी कर आदेश दिया जाता है कि आगामी आदेश तक मोजा लुणसरा के खेत खसरा नं 328 रकबा 09-09 बीघा व 1829/328 रकबा 09.10 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग में कोई दखलअन्दाजी, बाधा, असुविधा एवं रूकावट न तो स्वयं करे एवं न ही अन्य किसी से करावे एवं वादग्रस्त भूमि का आगे विक्रय/अन्तकरण एवं बन्धक न तो स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकारों को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 30.06.2017 को पेश हो।</p>	



सहायक कलक्टर
(एस.डी.एम.) जायल (नागौर)

पक्षकार/पक्षकारान के अभिबन्ता

पीटासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 11.10.17 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अभिबन्ता

पीटासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 6.11.17 को प्रस्तुत करें।

13-9-17

11.10.17

FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट) (नियम 28)

यालय.....

प्रहलादनाथ

बनाम

इलाक़ा

करण की किस्म

पार्षना पत्र

करण की संख्या

74 वर्ष 2017

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
7.2.17	<p>पञ्चकार/पञ्चकारान के अतिवृत्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट वे/प्रमाण अवधि पर जो हुए, प्रमाण प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 21.3.17 को प्रस्तुत करें।</p> <p>21.3.18 कृष्णा उप। मूलका के अपाधिकार से 11 की शीट से वकील दशरथ सिंह राठौर ने कालनाथ पेश किया/पत्रावली वाले अवक डिल डि 13.4.18 को पेश हो।</p>	
13.4.18	<p>पञ्चकार/पञ्चकारान के अतिवृत्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट वे/प्रमाण अवधि पर जो हुए, प्रमाण प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 23.5.18 को प्रस्तुत करें।</p>	
01.06.18	<p>पत्रावली न्याय आप के उच्च शिफ्ट में क्लर्क सेवा केन्द्र लखनपुर में पेश हुई। मूल काड का राजीनामा से निस्तारण हो गया है इसलिए इस पार्षना पत्र को चलाने का कोई झोचेल्य नहीं है। मूल काड का निस्तारण होने के कारण पार्षना पत्र का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली अपेक्षा होकर निर्णय हुआ।</p>	

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश अनुपालन संक्षिप्त
	<p>लोक नम्बर से कम लोक इकाए</p> 	